फा.सं. 68/1/2016-सीएक्स 1
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड
****

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2016

सेवा में

प्रधान मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवा कर (सभी),
मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवा कर (सभी),
प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवा कर (सभी),

महोदया/ महोदय,

विषय : अधिसूचना सं. 12/2012- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 17.03.2012 में उल्लिखित 'स्थल' का क्षेत्र-विस्तार- की बावत।

व्यापार क्षेत्र से ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें यह शिकायत की गई है कि अधिसूचना सं. 12/2012-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 17.03.2012, यथा संशोधित (क्र.सं. 186) के द्वारा कार्य स्थल पर निर्माण कार्य में प्रयोग किए जाने वाली सामग्री जिनको निर्माण स्थल पर ही तैयार किया जाता है पर लागू छूट का लाभ लेने में कठिनाई महसूस हो रही है। अब मुद्दा यह है कि शब्द 'स्थल' का प्रयोग किस प्रकार किया जाए और उक्त अधिसूचना में इसकी दी गई परिभाषा की किस प्रकार व्याख्या की जाए, विशेषकर उन परियोजनाओं में जिनमें कि लम्बी दूरी तक के निर्माण किए जाने की बात आती है जैसे कि सड़क का निर्माण, पाइप लाइनों को बिछाना या रेलवे ट्रैक को बिछाना आदि।

2.1 बोर्ड ने इस विषय पर विचार किया है। शब्द 'स्थल' की उक्त अधिसूचना में ऐसे परिसर के रूप में परिभाषित किया गया है "जो ऐसे निर्माण कार्य के अनुबंध या करार में विशेष रूप से उल्लिखित करके माल को तैयार करने के लिए उपलब्ध कराया गया हो, बशर्ते कि ऐसे परिसर में तैयार किया गया उक्त माल का प्रयोग केवल उक्त निर्माण कार्य के लिए किया जाए।"

2.2 परिभाषा से यह स्पष्ट है कि शब्द 'स्थल' का तब तक कोई सीमित अर्थ नहीं निकाला जा सकता जब तक ऐसे परिसर पर अधिसूचना सं. 12/2012- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 17.03.2012 के क्रम सं. 186 के अंतर्गत छूट का लाभ प्राप्त करने पर विचार किया जा रहा हो और निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हों :-

i. उक्त परिसर को ऐसे निर्माण कार्य के लिए अनुबंध/ करार में विशेष रूप से उल्लेख करके माल को तैयार किए जाने के लिए उपलब्ध कराया जा रहा हो।
ii. ऐसा माल जिसके लिए छूट की मांग की जा रही हो, अध्याय 68 (6804, 6805, 6811, 6812 और 6813 को छोड़कर) के अंतर्गत उक्त परिसर में तैयार किया जा रहा हो; और
iii. उक्त परिसर में तैयार किया जाने वाला उक्त माल का प्रयोग अनन्य रूप से, संबंधित अनुबंध या करार के अनुसार निर्माण कार्य के लिए किया जा रहा हो।

3. ऐसा लगता है कि कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों में छूट के लिए माल की पात्रता की जांच करने के लिए ऐसी दूरी को मानदण्ड माना गया है जिस पर कि ऐसे स्थल में तैयार माल का प्रयोग उक्त परियोजना में किया जा रहा हो। यह एक बाहरी मानदण्ड है जो कि अधिसूचना में प्रयुक्त भाषा से स्पष्ट नहीं होता है, विशेषकर तब जब शब्द स्थल को उक्त अधिसूचना में स्पष्ट कर दिया गया है। उपर्युक्त पैरा 2.2 में दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार पात्रता संबंधी मानदण्ड को अधिसूचना में दी गई 'स्थल' की व्याख्या को सहज रूप से पढ़कर निकाला जाना चाहिए।

4. उपर्युक्त बातों को देखते हुए, एतदद्वारा यह निर्देश दिया जाता है कि प्रत्येक मामले में, ऊपर दिए गए स्पष्टीकरण की दृष्टि से उस मामले विशेष के तथ्यों के आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए। परिपत्र सं. 456/22/99-सीएक्स, दिनांक 18.05.1999 को एतदद्वारा निरस्त किया जाता है।

5. क्षेत्रीय कार्यालयों को और व्यापार जगत को यथोचित रूप से सूचित कर दिया जाए। इस परिपत्र के क्रियान्वयन में यदि कोई कठिनाई आ रही हो तो उसे बोर्ड की जानकारी में लाया जा सकता है।

संतोष कुमार मिश्रा

(सन्तोष कुमार मिश्रा)
अवर सचिव, भारत सरकार